

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार
मुख्यालय-रोशनाबाद।

पत्र संख्या-वी-1/2018-19

दिनांक 04.02.2019

विज्ञप्ति

निस्प्रोज्य वाहनों की नीलामी हेतु नियम व शर्तः-

1. बोलीदाता को नीलामी से पूर्व रू0 5000 (पाँच हजार) धरोहर राशि के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि नीलामी की कार्यवाही पूर्ण होने के पर वापिस किये जायेंगे।
2. वाहन जहाँ है जैसा है के आधार पर बोली लगानी होगी।
3. नीलामी स्वीकृति होने कर 50 प्रतिशत धनराशि उसी वक्त बोली समाप्ती के उपरान्त जमा करानी होगी, तथा शेष धनराशि तीन दिन के अन्दर जमा कर वाहन कब्जे में लेना होगा।
4. जी0एस0टी0/सी0एस0टी0 का वाहन वाहन मूल्य से अलग से देय होगा।
5. किसी वाहन/वाहनों की नीलामी स्वीकृति/निरस्तीकरण का सम्पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा। इस सम्बन्ध में किसी वाद-विवाद का निर्णय समिति का ही मान्य होगा।
6. प्रत्येक वाहन के लिए अलग-अलग बोली लगानी होगी, वाहनों की नीलामी से सम्बन्धित अन्य शर्तें/जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस के दिन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
7. क्रम संख्या- 1 व 2 निम्न वाहनों की पूर्ण नीलामी न होने के कारण यथास्थिति समिति द्वारा पुनः मूल्यांकन कर नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। वाहनों की बोली निर्धारित मूल्य से ऊपर लगायी जायेगी।

संलग्न- 08 उपरोक्तानुसार विभागीय वाहनों की नीलामी किये जाने वाले वाहनों की सूची।

क्र0 सं0	वाहन संख्या	मेक	मॉडल
1	UP10B 8848	Maruti Van (Petriol)	1996
2	UP32 T 5035	Maruti Van (Petriol)	1996
3	UP32 T 5028	Maruti Van (Petriol)	1996
4	UP32 T 5034	Maruti Van (Petriol)	1996
5	UA07 D 6230	H.M Ambulance (Diesel)	2002
6	UA07 D 2041	H.M Ambulance (Diesel)	2002
7	UA07 D 2049	H.M Ambulance (Diesel)	2002
8	UA07 D 2050	H.M Ambulance (Diesel)	2002

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरिद्वार।